आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–12/2024	
11.06.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री देवधारी साव, प्रखण्ड–चौपारण, जिला–हजारीबाग अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चौपारण, हजारीबाग उपस्थित। इस वाद में आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रतिवादी बनाते हुए शिकायतकर्त्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के विरूद्ध अपना पक्ष भेजने का निर्देश दिया था। आयोग के निर्देश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग ने आयोग को पत्रांक–516 दिनांक–05.06.2024 के माध्यम से अपना प्रतिवेदन भेजा है। आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि वो जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा आयोग को भेजे गये प्रतिवेदन की एक प्रति शिकायतकर्त्ता को भेज दे। आयोग शिकायतकर्त्ता से आग्रह करता है यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध कोई पक्ष रखना हो तो अगली सुनवाई में रख सकते है। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–27.06.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–27.06.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

G:\Rachana jsfc\Court order.docx39

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267